प्रपत्र सं0–49 भाग संख्या IV

प्रकीर्ण बाद में आदेश

न्यायालय– मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण **स्थान–** झांसी

मोटर दुर्घटना वाद संख्या– 91 **सन्** 2017 **प्रकीर्ण संख्या–** **सन्**

कु. आकांक्षा कौशिक उम्र करीब १९ वर्ष पुत्री स्व. डॉ. महावीर शरण कौशिक निवासी मुहल्ला कटरा गुरसरांय थाना व पो. गुरसरॉय तहसील गरौठा जिला झॉसी

–––––––––याचिया।

प्रति

१. तरुण कुमार गुप्ता तनय अशोक कुमार गुप्ता निवासी ३०/अन्दर बड़ागॉव गेट झॉसी, उ.प्र.

...............वाहन स्वामी वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

२. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड इलाईट चौराहा, झॉसी जरिये शाखा प्रबन्धक का. इ. क. लि. झॉसी

.... बीमाकर्ता वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

३. रहीम खॉ तनय मन्नी खॉ निवासी कटरा

................चालक वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९

––––––––विपक्षीगण।

टिप्पणी– जो पते कि ऊपर दिये गये है यह पक्षकारों ने
को छोडकर, जो उपस्थित नहीं हुये तामील प्रयोजन से दाखिल किये है।

दावा अंतर्गत धारा 166 व 140 मो0 व्ही0 एक्ट

मुबलिग के लिए दावा ₹ ३७,००,०००/–

आवेदक के लिए श्री शिवकान्त शर्मा **अभिवक्ता और प्रतिपक्षकार** 1 व 3 **के लिये** श्री संजय देव शर्मा **अभिवक्ता और प्रतिपक्षकार** 2 **के लिये** श्री एस. बी. कनकने **अभिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद के दिनांक** 22.06.2020 **को** श्री चंद्रोदय कुमार **पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण झांसी के समक्ष निर्णय के लिये पेश होने पर एतदद्वारा आविष्ट किया जाता है कि**

याची की याचिका विपक्षी सं. १ व ३ के विरुद्ध पृथक–पृथक व संयुक्त दायित्व के आधार पर आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ***₹२,४८,८०१/– (दो लाख अडतालीस हजार आठ सौ एक****) मय ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. २ को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से ३० दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दें। क्षतिपूर्ति की धनराशि याचिया के खाते मे इलेक्ट्रानिक मोड से नग़द भुगतान की जाएगी।*

(चंद्रोदय कुमार)

मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण

झांसी